सं0-16/2018/798 /29-3-2017-ब 708/17

प्रेषक

ए0पी0 त्रिपाठी,

संयुक्त सचिव

उत्तर पदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त

खाद्य तथा रसद विभाग

जवाहर भवन लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 10 अप्रैल 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक-"2408-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-ले0शा0/1324/173/2408/बजट अनु0/ 2017 दिनांक 01-11-2017, पत्र सं0-ले0शा0/01/187/2018-19/बजट दिनांक 02-4-2018 तथा वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के पत्र सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में आपके प्रस्ताव दिनांक 2-4-2018 एवं वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित प्रावधानों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखाशीर्षक-2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के मानक मद-0401-राज्य खाद्य आयोग के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत कुल प्रावधानित **धनराशि रू0 95.00 लाख (रूपये पच्चानवे लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 47.50 लाख (रूपये सैतालीस लाख पचास हजार मात्र) एवं** 31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 114.40 लाख के सापेक्ष रू0 114.40 लाख **(रूपये एक करोड़ चौदह लाख चालीस हजार मात्र)** एवं 0409-राशन कार्डो में दर्ज आधार सीडिंग में प्राविधानित धनराशि रू0 100 लाख के सापेक्ष रू0 100 लाख **(रूपये एक करोड़ मात्र) निम्न विवरण के अनुसार** आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>अनुदान सं0-21</u>

लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-

01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

0401-राज्य खाद्य आयोग (धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	मद का नाम	धनराशि
1	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	47.50
2	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	114.40
	योग	161.90

0409-राशन कार्डो में दर्ज यूनिट की आधार सीडिंग

क्र0	मद का नाम	धनराशि
1	0409-राशन कार्डो में दर्ज यूनिट की आधार सीडिंग 42-अन्य व्यय	100.00
	योग	100.00

2- उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओ पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में नई मदों के क्रियान्वयन के लिये न किया जाय। इस आवंटित धनराशि में से मुख्यालय के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि रोककर शेष अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि को तत्काल आवंटित कर दें तथा आवंटन की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय। जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी होने की दशा में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

3- उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों/मदों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथव अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशो का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की प्रति पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत होने वाले व्यय को वहन करने हेतु कोषागार से धनराशि के आहरण की माह वार फेजिंग अनिवार्य रूप से विभाग के कार्य की प्रकृति के अनुसार कर लिया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग समान रूप से प्रति माह पूरे वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये समान रूप से की जाय। व्यय की फेजिंग वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 /वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 को उपलब्ध करायी जाय। स्वीकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जायेगा ताकि राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 6-6-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इसलिये विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगें तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की संभावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 के संज्ञान में लाया जाय।

8- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं तथा अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

9- जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाय तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय। उसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्षक (15डिजिट कोड में) के साथ संबंधित अनुदान संख्या-मतदेय/भारित का भी उल्लेख अवश्य किये जाय।

10- बी0एम0-8 तथा बी0एम0-13 पर प्रति माह की 10 तारीख तक नियत रूप से वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 को सूचना उपलब्ध करायी जाय।

11- इस शासनादेश के अन्तर्गत आवंटित होने वाली धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में विल प्रस्तुत करके आहरण किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

12- उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-21 के अधीन प्रस्तर-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय

(ए0पी0 त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संं0- 16/2018/798/29-3-2017-ब 708/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लांनिग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।

5- स्थानिक प्रतिनिधि स्थानिक प्रतिनिधि कार्यालय द्वितीय तल 12ए नेताजी सुभाष रोड कोलकाता।

6- वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ ।

7- कोषाधिकारी कोषागार जवाहर भवन लखनऊ।

8- अनुभाग अधिकारी (लेखा)खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 शासन।

9- अनुभाग अधिकारी खाद्य तथा रसद अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7 एवं वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।

11- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ए0पी0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।